न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : तीन–निगरानी/श्योपुर/भू0रा0/2017/2084 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 28 जून, 2017 – पारित द्वारा – अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर – प्रकरण क्रमांक 44/2016–17 अपील

श्रीमती कलावती उर्फ गोडावाई पत्नि स्व. सत्यनारायण
ग्राम कंवरसली तहसील व जिला श्योपुर, मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती मोत्या पत्नि स्व. बाला माली
ग्राम कंवरसली तहसील व जिला श्योपुर

2– श्रीमती द्रोपती पुत्रा वाला पत्नि रामअवतार
ग्राम खावदा हाल निवासी इटावा तहसील पीपल्दा
जिला कोटा राजस्थान

3– श्रीमती फोरन्ती पुत्री वाला पत्नि गिर्राज माली
ग्राम ढोटी तहसील व जिला श्योपुर

4– श्रीमती मनभर पुत्री वाला पत्नि बिनोद माली
ग्राम बछेरी तहसील कराहल जिला श्योपुर

5– कु.सीमा पुत्री वाला नावा.सरपरस्त मॉ मौत्या
ग्राम कंवरसली तहसील व जिला श्योपुर ——अनावेदकगण

---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव

(अनावेदक के अभिभाषक श्री एम. के. अवस्थी

आ दे श

(आज दिनांक 3 – 08 **–201**8 **को पारित)**

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–6–2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार श्योपुर द्वारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 31 पर आदेश दिनांक 24-12-2010 से बटवारा किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील कमांक 44/16-17 दिनांक 25-4-2017 को प्रस्तुत की एंव अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने पक्षकारों को सुनकर अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर आदेश दिनांक 28-6-2017 पारित किया तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम कंवरसली स्थित कुल रकबा 16 वीघा 4 विसवा का सहमति बटवारा नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 31 पर आदेश दिनांक 24-12-2010 से तहसीलदार ने किया है जिस पर अनावेदकगण की सहमति है किन्तु समय पर बटवारे की जानकारी होते हुये भी 7-8 वर्ष के विलम्ब से अपील की गई है इसके वाद भी अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने आदेश दिनांक 28-6-2017 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने में भूल की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर का आदेश दिनांक 28-6-2017 निरस्त किया जावे।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक के पति सत्यनारायण ने अपने जीवनकाल में तहसीलदार तथा पटवारी से मिलकर षड़यंत्र रचते हुये अनावेदकों के हिस्से की भूमि भी धोखादेही करके अपने नाम कराई है एंव प्रथम दृष्टि में इस तथ्य से अनुविभागीय अधिकारी ने संतुष्ट होकर अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के तथ्यों को सही मानकर विलम्ब क्षमा किया है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का अंतरिम आदेश दिनांक 28-6-2017 सही है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने अंतरिम आदेश दिनांक 28-6-17 में अंकित किया है कि सत्यनारायण परिवार में इकलौता पुरूष सदस्य था जिसके कारण वह भूमि पर खेती करता रहा है और भूमि संबंधी लिखा-पढ़ी उसके द्वारा ही की जाती रही है। अपीलांट्स् में वृद्ध मॉ

एंव उसकी तीन बहन जिनकी शादी हो चुकी है तथा एक बहन नावालिग है को विवादित बट्वारे के संबंध में समय पर जानकारी नहीं हुई है एंव बट्वारा असमान भाग पर करना प्रतीत हुआ है जिसके कारण उन्होंने वास्तविक स्थिति जानने की दृष्टि से अंतरिम आदेश दिनांक 28-6-17 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया है।

1. अपील फाइल करने में विलम्ब की माफी पर विचार किया जाना है और विलम्ब माफी का बाजिव कारण बताया गया है तब विलम्ब माफ कर देना चाहिये। मामला गुणागुण पर निराकरण के लिये विचार में लिया जाना चाहिये। म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 एंव अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के कारणों पर विचार करते हुये मामले में विधि का सारवान सिद्धांत अंतर्ग्रस्त हो तब परिसीमा की तकनीक उस पर अभिभावी नहीं मानना चाहिये एंव ऐसे मामले में न्याय से इंकार नहीं करना चाहिये (A.I.R. 1987 S.C. 1353 से अनुसरित)
2. प्रेमनारायण राठौर बनाम म0प्र0 राज्य 2006 रा0नि0 351 में दृष्टांत प्रतिपादित है कि परिसीमा अधिनियम 1963 - धारा -5 - आक्षेपित आदेश की सूचना समय से नहीं दी गई - सूचना प्राप्त होने के पश्चात् अपील फाइल की गई - उदारतापूर्वक माफी प्रदान की जाना चाहिये - आवेदन मंजूर किया गया। A.I.R. 1987 S.C. 1353 तथा 1997 रा.नि. 345 (उच्च न्यायालय) से अनुसरित -

उक्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के अंतरिम आदेश दिनांक 28-6-17 में निकाले गये निष्कर्ष उचित प्रतीत होते हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती हे एंव अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 44/16-17 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28-6-2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अहीं)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर